Order Sheet [Contd] Case No 276/2017 बी.ए

	Case No 276/	′2017 લા.
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
31.07.2017	आवेदिका श्रीमती मीराबाई की ओर से अधिवक्ता श्री ए०कं० श्रीवास्तव। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड से अप०क० 84/17 धारा 498ए भा.द.वि एवं धारा 3/7 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। अविदिका श्रीमती मीराबाई की ओर से अधिवक्ता श्री ए०कं० श्रीवास्तव द्वारा द्वितीय जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० का होना व्यक्त करते हुए प्रथम जमानत आवेदनपत्र दिनांक 28.07.17 को वल न देने के आधार पर निरस्त होना व्यक्त किया है। अविदिका की ओर से द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 438 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदिका अपने पित के साथ कई वर्षों से भुज (गुजरात) में निवास कर रही है। फरियादिया जो कि उसकी पुत्रबधु है शादी के समय से ही उसके परिवार को हैरान परेशान कर रही है और यह झूठा अपराध लगा दिया है। फरियादिया द्वारा धारा 125 जा०फौ० का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें राजीनामा हो गया है। आवेदिका अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगी। अतः उसे उचित जमातन मुचलकं पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदिका अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदिका फरियादिया की सास है और वह अपने पुत्र के साथ निवास नहीं करती है, बिट्ठिक पुत्र से पृथक गुज(गुजरात) में निवास करती है और आवेदिका के विरुद्ध यह झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। फरियादिया द्वारा अपनी लिखित रिपोर्ट में इस आश्रम के आरोप लगाए गए है के उसके पिता ने पर्याप्त दहेज दिया था, किन्तु उसके पश्चाह्त मी पित रिवेशंकर, सास मीरा, ससुर हाकिमसिंह, देवर सोन् कम दहेज के लिए मानसिक रूपता का कृत्य किया हो ऐसा फरियादिया ने आरोपी नहीं लगाया है। आवेदिका/अभियुक्त महिला है जिसका फरियादिया के पित से पृथक निवास करने का आधार लिया गया है। अतः प्रकरण की परिशितियों एवं माननीय सर्वाच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत अरनेश कृता दिशार खते हुए आवेदिका/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः आवेदिका भीरा बाई की ओर से प्रस्तुत अवेद उस थाना गोहद चौराहा के जारहा	AT TO SECOND SEC
	AND THE CALLET ALTER BY MICHIEL HAM MICHIEL AND ALTER AN	

अपराध कमांक 84/17 धारा 498ए, 34 भा.द.वि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी संतुष्टि योग्य 30,000/— रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न आशय का पेश हो तो उसे प्रतिभूति पर मुक्त कर दिया जावे।

शर्ते:-

- 1. आवेदिका अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगी।
- 2. विचारण के दौरान प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगी।
- अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी।
 आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।
 प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद

All Horse Parcola State of Parcola State of Stat